हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

सोमवार, 24 अगस्त, 2015/2 भाद्रपद,1937 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 24 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

1. **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग- III(अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2012 दिनांक 18.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.06.2015 को प्रकाशित;

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर , वर्ग- III(अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015 दिनांक 06.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.06.2015 को प्रकाशित;

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-ए (3)-5/2014 दिनांक 13.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2015 को प्रकाशित;

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज़) (चौबीसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-ए (3)-11/2013 दिनांक 15.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.07.2015 को प्रकाशित; और

(5) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 ।

2. श्री धनी राम शांडिल , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(2) बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **104वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **105वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **106वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 27वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना की संवीक्षा पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

डा0 राजीव बिन्दल
श्री सुरेश भारद्वाज

"प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

6. नियम-130 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर हुई चर्चा का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री उत्तर देंगे:

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा व बादल फटने से हुई क्षति बारे यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 22 अगस्त, 2015 सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)